

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र

No. ARSS/100/21-22/2482/27/2 (श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

गोनेडा-कोटपूतली (राजस्थान)-303108

(क्षतिग्रस्त मैनगेट व दीवार, तारबन्दी, फाउण्डेशन हेतु आवश्यक सामान व श्रमिक आपूर्ति) की सीमित निविदा

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेडा - कोटपूतली पर फार्म की दक्षिण व पश्चिम दिशा में निर्मित दीवार में क्षतिग्रस्त दीवार की चुनाई एवं मुडकर गिरी हुयी एंगलों को सीधा कर पूर्व में लग रही चैन लिंक जाली को पुनः लगवाना 2- आफिस के सामने 2'x2'x10' के तीन पीलर बनाकर फार्म पर पहले से उपलब्ध लोहे के पुराने दो मैन गेटों को लगवाना 3-फार्म पर विभिन्न खेतों में बिछी पानी की अण्डर ग्राउण्ड लाइन में निकले हुये लगभग 28 हाइड्रेन्टो के चारों तरफ 15"x15"x24" साइज के सीमेन्ट, कंकरीट के फाउण्डेशन बनाने के कार्यों हेतु इच्छुक योग्य फर्मों से सीमित निविदा मुहरबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदा केन्द्र के कार्यालय में 07.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिये उसी दिन दोपहर 2.00 बजे केन्द्र पर निविदा समिति द्वारा निविदाएं खोली जावेगी।

प्रपत्र-"अ"

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित व्यय	विशेष विवरण
1.	फार्म पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में पहले से निर्मित दीवार में क्षतिग्रस्त दीवार की चुनाई एवं मुडकर गिरी हुयी एंगलो को सीधा कर पहले से लग रही चैन लिंक जाली को पुनः लगवाना।	30,000.00	संलग्न निविदा प्रपत्र
2.	केन्द्र के कार्यालय के सामने 2'x2'x10' साइज के तीन पिलर बनाकर पहले से उपलब्ध लोहे के पुराने दोनो गेटो को लगाना है।	23,000.00	
3.	फार्म पर खेतों में बिछी पानी की अण्डर ग्राउण्ड लाइन में निकले हुये लगभग 28 हाइड्रेन्टो के चारो तरफ 15"x15"x24" साइज के सीमेन्ट कंकरीट के फाउण्डेशन बनवाने है।	45,000.00	
		98,000.00	

— sd —

प्रभारी अधिकारी

(कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेडा, कोटपूतली)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)
2. संयोजक/निविदा समिति सदस्य
3. इच्छुक निविदादाता फर्म का नाम
4. सूचना पट्ट, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेडा, कोटपूतली
5. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी

(कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेडा, कोटपूतली)

सीमित निविदा की शर्तें

1. सीमित निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 की शर्तें निविदा का भाग मानी जायेगी।
2. उपरोक्त निर्माण कार्य/तार फोनसिंग कार्य हेतु केन्द्र पर सामान व श्रमिक की आपूर्ति कर कार्य पन्द्रह दिवस में पूरा करना होगा।
3. इस केन्द्र द्वारा जारी प्रारूप "अ" में ही अपनी दरें दर्शानी होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दस्तावेज पर दी गयी दरें मान्य नहीं होंगी।
4. दोनो सीमित निविदा अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। जिस पर इच्छुक निविदा कार्य का नाम निविदा लिफाफे पर अंकित होना चाहिए।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान केन्द्र द्वारा कार्य सन्तोषप्रद होने की पुष्टि होने पर ही किया जावेगा।
6. सीमित निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा किये गये कार्य व सामान की केन्द्र द्वारा कार्य एवं सामान सन्तोषप्रद रूप से पूरा होने की अभिशंका करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
7. सीमित निविदादाता बोली प्रपत्र की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता हस्ताक्षर करेगा।
8. सीमित निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट-छांट /ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये।
9. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने व सामान की आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जावेगी।
10. कार्यादेश के अनुसार ही कार्य नियत समय पर पूरा करना होगा।
11. भुगतान संबंधित निविदादाता को बैंक द्वारा या उसके बैंक खाते में ऑनलाइन सीधा ही किया जावेगा।
12. सफल निविदादाता के समय पर सामान आपूर्ति नहीं करने या कार्य सन्तोषजनक नहीं करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म पर द्वारा हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सति अन्य व्यवस्था द्वारा क्रय अथवा निर्माण कार्य अन्य फर्म से करवा सके इसमें पिछले आपूर्ति किये सामान व निर्माण कार्य का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. निविदा प्रपत्र में दिये गये कार्य को घटाने या बढ़ाने एवं न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने, तथा निविदा के किसी भाग या पूरी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का सुरक्षित होगा।
14. बोली प्रपत्र दिनांक 07.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोले जावेगे। देरी से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्त विभाग राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.01.2015 के प्रावधान लागू होंगे।
16. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कोटपूतली (जयपुर) राजस्थान रहेगा।

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक पूर्ण होश हवास में पढ लिया है, समझ लिया है तथा मैं/हम उपयुक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूंगा/रहेंगे।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

सांग्र